रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 378] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 1968/आश्विन 16, 1890

No. 378] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 1968/ASVINA 16, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October 1968

S.O. 3612.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, and in partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 3269 dated the 1st November, 1966, in so far as it relates to the exercise of powers and functions under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) by the Administrator of the Union Territory of Chandigarh, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the powers and functions of the appropriate Government under—

(i) the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), except those of the Central Government under the provisos to sub-section (1) of section 55, and

(ii) the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963,

shall also be exercised and discharged by the Administrator of the Union Territory of Chandigarh, within the said Union Territory.

[No. F. 2/8/68-UTL.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1968

का० आ० 3613—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3269, तारीख 1 नवम्बर, 1966 के जहां तक वह चण्डीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन की शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग से सम्बन्धित है, भागतः उपान्तरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निर्देश देते है कि उनके नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक कि अतिरिक्त आदेश न हो,—

(i) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 55 की उपधारा (1) के परन्तुकों के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों और कृत्यों को छोड़कर उस अधिनियम के अधीन समुचित सरकार की, शक्तियों और कृत्यों का, और

(ii) भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 के अधीन समुचित सरकार की शक्तियों और कृत्यों का,

प्रयोग और निर्वहन चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा भी उक्त संघ राज्यक्षेत्र के अन्दर किया जाएगा।

[सं० फा० 2/8/68 संरा०ला०.]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968